



Neutral Citation No - 2026:AHC:42187

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट-सी संख्या - 2026 की 4324**

शीलेन्द्र कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : द्विजेन्द्र प्रसाद, प्रमोद कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 6**

**माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया**

1. उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 33/39 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 3 अर्थात् उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जिला मैनपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 31.12.2025, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में किए गए पट्टों का आवंटन निरस्त किया गया, वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन है।

2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई है कि उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अन्तर्गत उपबंधित समुचित प्राधिकारी के समक्ष जाने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

3. प्रकरण की इस स्थिति में, रिट याचिका वैधानिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।

**अस्वीकरण**

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

स्वाती

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"